



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/दुर्ग/चू०प०- 38 छ०ग० 05026

दिनांक:- 20/03/2020

प्रति,

श्री सुशील कुमार वाली, होल टाइम डायरेक्टर एवं नॉमिनेटेड ऑनर,  
सर्वश्री जे० के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,  
एफ/2578, अंसल्स पालम विहार,  
गुड़गाँव - 122 017

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी जे०के० लक्ष्मी सीमेंट चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 252.105 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 27/01/2020 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बी० एल० भाटी, वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं श्री संजय अरोरा, वरिष्ठ महाप्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

| नियम              | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा  |
|-------------------|--|
| <b>Rule 11(1)</b> | The following deviations have been found in the mine from the approved Modified Mining Plan vide letter no. DRG/LST/MPLN-1156/2018-RPR Raipur dated 11/07/2018 for the period of F.Y. 2018-19 to 2020-21:<br><b>Exploration:</b> During F.Y. 2018-19 to 2019-20; it was proposed to carry out 55 nos. of Core Boreholes up to a cumulative depth of 1925 meters; whereas, 27 nos. of Core boreholes with cumulative depth of 1084 meters have been drilled so far. |
| <b>Rule 45(7)</b> | <b>Annual Return F.Y. 2018-19:</b><br><b>Part V; General Geology &amp; Mining (Sec 1/2 for Bauxite):</b> 4.2 (c): Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes) has not been mentioned.  |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) अंतर्गत:-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

क०प००.2.

3. श्री डी० के० मेहता, वॉइस प्रेसीडेन्ट एवं ऐजेंट (मार्इन्स), ग्राम—मलपुरी खुर्द, खसारीडीह, पोस्ट— अहिरवारा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)— 490 036

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर